(भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3(ii) में प्रकाशनार्थ)

फा.सं. 20/2/2011-आईएफ-II

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी, 2013

अधिसूचना

रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 6 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, इलाहाबाद बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जोगिन्दर पाल दुआ को 80,000/- रुपए (नियत) के वेतनमान में पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक अथवा बीआईएफआर के समापन तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) में सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड, नई दिल्ली।